

21.04.2025:-

पत्रावली आज वादी छिन्द्रपाल सिंह जरिय अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपास मे राजीनामा हो गया। इसलिए वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते वाद पत्र आज ही पेशी मे लिया जाकर विदझावल खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकार पर हस्ताक्षर करवाये गए। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री राजेशदीपराय द्वारा की गई। वादी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

दीप
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

